GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

नोटिस

क्रमांक न0: 33/2–2026 पी0एस0(ई0–2) दिनांक 14.03.2026

सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर0टी0ई0 अधिनियम, 2009) के प्रावधानों के अनुपालन को सुगम बनाने हेतु सीट घोषणा पोर्टल संचालित कर दिया गया है। निर्देशानुसार विद्यालयों को प्रवेश स्तर की कक्षा में कुल सीटों की संख्या दिनांक 17.03.2026 तक घोषित करना अनिवार्य है। जिन विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए सीटें नहीं दर्शाई जाएगीं, उन विद्यालयों का पूर्व की भांति एम.आई.एस. पोर्टल अस्थाई तौर पर बन्द कर दिया जाएगा।

निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन न करने की स्थिति में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह सीट घोषणा पोर्टल पर मान्यता का वैध एवं वास्तविक प्रमाण–पत्र अपलोड करे। गलत जानकारी, अवधि समाप्त हो चुके अथवा जाली प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रतिकूल कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें एम.आई.एस. (MIS) एक्सेस का निलंबन तथा लागू नियमों के अंतर्गत विद्यालय की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही भी शामिल है।

सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से अनुरोध है कि सीट घोषणा फार्म (Seat Declaration Form) भरते समय निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें:–

1. केवल प्रवेश स्तर की कक्षा में कुल सीटों की संख्या दर्ज करें। यदि प्रवेश स्तर की कक्षा नर्सरी है तो केवल नर्सरी की कुल सीटें घोषित करें। यदि एल.के.जी. (LKG) है तो केवल एल.के.जी. की कुल सीटें घोषित करें। यदि यू.के.जी. (UKG) है तो केवल यू.के.जी. की कुल सीटें घोषित करें। यदि कक्षा 1 (Grade-1) है तो केवल कक्षा 1 की कुल सीटें घोषित करें।
2. प्रणाली द्वारा कुल सीटों का 25% स्वतः गणना करके प्रदर्शित कर दिया जाएगा।
3. जो विद्यालय अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपनी अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाण–पत्र (Minority Status Certificate) का उल्लेख करते हुए संबंधित विवरण सहित अपलोड करना होगा।
4. यदि कोई विद्यालय "अल्पसंख्यक स्थिति हाँ" का चयन करता है और किसी भी प्रवेश स्तर की कक्षा में शून्य से अधिक सीटें घोषित करता है, तो घोषित सीटों का 25% भाग लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन हेतु माना जाएगा। तथापि, यदि कोई अल्पसंख्यक विद्यालय सभी कक्षाओं में शून्य सीटें घोषित करता है, तो लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी सीट आवंटन हेतु नहीं मानी जाएगी।
5. जिन विद्यालयों में प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 तक) की कक्षाएँ उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें यह स्पष्ट रूप से घोषित करना होगा। यदि यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिक कक्षाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो प्राथमिक कक्षाओं हेतु उनका MIS खाता लॉक कर दिया जाएगा और वह केवल प्राथमिक स्तर से ऊपर की कक्षाओं के लिए ही कार्य करेगा।
6. घोषित सीटें विद्यालय में प्रवेश स्तर की कक्षा में उपलब्ध कुल सेक्शनों की संख्या के आधार पर होनी चाहिए।
7. विद्यालयों को "क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है?, के अंतर्गत अपनी मान्यता की स्थिति (Recognition Status) का उल्लेख करना अनिवार्य है।
8. मान्यता संबंधी दस्तावेजों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:–

मान्यता हेतु वैध दस्तावेज	मान्यता हेतु अवैध दस्तावेज
विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC)/ डीम्ड मान्यता अथवा अस्थायी मान्यता, जो वैध, अद्यतन हो तथा वर्ष–प्रतिवर्ष नवीनीकृत की गई हो।	किसी भी शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी संबद्धता/ अनुमति प्रमाण–पत्र को मान्यता के उद्देश्य से वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा।
विभाग द्वारा जारी स्थायी मान्यता प्रमाण–पत्र	

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

9. विद्यालयों को मान्यता स्तर (Recognition Level) जैसे कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8 आदि का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

10. पूर्व में कई विद्यालयों द्वारा सीट घोषणा प्रपत्र का अंतिम सबमिशन (Final Submission) पूरा नहीं किया गया था। कृपया ध्यान दें कि केवल "Final Submitted" के रूप में चिह्नित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। अपूर्ण (Incomplete) आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले सभी प्रमाण–पत्र (PDF) स्पष्ट, पढ़ने योग्य तथा दी जा रही जानकारी से संबंधित होने चाहिए।

12. विद्यालयों को अंतिम सबमिशन से पहले दी गई जानकारी का सावधानीपूर्वक सत्यापन करना आवश्यक है। ऑनलाइन प्रपत्र में दी गई समस्त जानकारी के लिए विद्यालय स्वयं पूर्णतः जिम्मेदार होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार विद्यालय की मान्यता रद्द की जा सकती है।

13. सबमिशन के पश्चात विभाग द्वारा घोषित सीटों के आंकड़ों तथा अपलोड किए गए प्रमाण–पत्रों का सत्यापन अभियान प्रारंभ किया जाएगा। अतः सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही एवं पूर्ण हो।

14. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने में किसी भी तकनीकी समस्या/प्रश्न के लिए विद्यालय rte.admission.hryedu@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। आवेदन भरते समय यदि कोई त्रुटि (Error) आती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। पिछले वर्ष कई विद्यालयों ने अपनी शिकायतों के संबंध में ईमेल भेजे, लेकिन उन्होंने MIS School Code/ School Name या Contact Number जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल नहीं की थी, जिसके कारण उनकी समस्याओं का जल्द से समाधान नहीं हो सका। अतः किसी भी शिकायत या अनुरोध के लिए ई–मेल भेजते समय ये सभी विवरण अवश्य शामिल करें।

15. आवेदक MIS Helpdesk नंबर 0172–5049801 पर भी सभी कार्यदिवसों में प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। हैल्पलाइन से संपर्क करते समय MIS School Code अपने पास रखना सुनिश्चित करें।

निर्धारित निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में एमआईएस (MIS) पर पहुँच सीमित की जा सकती है तथा लागू नियमों के अनुसार आगे की प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। सीट घोषणा प्रक्रिया की सटीकता एवं पारदर्शिता बनाए रखने में आपके सहयोग की सराहना की जाती है।

नोटः सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से अनुरोध है कि निर्धारित समय–सीमा का पालन करें तथा अद्यतन जानकारी, निर्देश एवं अधिसूचनाओं के लिए समय–समय पर आधिकारिक वेबसाइट **https://harprathmik.gov.in** को नियमित रूप से देखते रहें।

सहायक निदेशक (प्राइवेट स्कूल)
कृतः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक –सम– दिनांक :– 14-3-2026

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. पी0एस0/अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, हरियाणा।
2. पी0ए0/महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा।
3. पी0ए0/महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा।
4. संयुक्त निदेशक, आई0टी0सैल।

सहायक निदेशक (प्राइवेट स्कूल)
कृतः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।